



## षोडश बिहार विधान सभा

### नवम् सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री शम्भु नाथ यादव,  
स०वि०स०

श्रीमती रेखा देवी,  
स०वि०स०

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम,  
स०वि०स०

“बिहार में 123 निबंधन कार्यालय कार्यरत है जिसमें ऑन-लाईन निबंधन कार्य सम्पन्न किया जाता है। पिछले 15 दिनों से विभाग का सर्वर डाउन रहने के कारण पूरे बिहार में निबंधन कार्य 15 दिनों से बाधित है। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से प्रतिदिन लगभग 50 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति हो रही है।

मद्य निषेध,  
उत्पाद एवं  
निबंधन

अतः बिहार में निबंधन कार्य ऑन-लाईन करने हेतु सर्वर को ठीक कराने अथवा उसके वैकल्पिक व्यवस्था करने की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री आलोक कुमार मेहता,  
संवि०स०  
श्री शिवचन्द्र राम,  
संवि०स०  
श्री कुमार सर्वजीत,  
संवि०स०  
श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव,  
संवि०स०  
श्री सुरेन्द्र कुमार,  
संवि०स०

“राज्य में वर्ष 2007 के बाद से कनीय अभियंता के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। वर्ष 2011 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) के लिए 2030 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा ली गई, जिसे रद्द कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा इन रिक्तियों के विरुद्ध 1500 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी, जो उचित नहीं है। राज्य में तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन

अतः राज्य में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शीघ्र कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”


राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/18-1613-1623 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 मार्च, 2018 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/18-1613-1623 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 मार्च, 2018 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

